132

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छत्तरपुर

R 3075 – III/13

दिनांक 12.8.13 को श्री चतुर्वेदी, अभि. द्वारा प्रस्तुत।

हल्के उर्फ गुठीला पुत्र श्री सरजू, निवासी सतना तहसील राजनगर, जिला छत्तरपुर (म.प्र.) --- आवेदक

विरूद्ध

1. बन्दीलाल पुत्र श्री सरजू कुशवाहा, निवासी सतना तहसील राजनगर, जिला छत्तरपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदकगण

प्रस्तुत 12.8.13 ASO

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.05.2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

8

D Chaturvedi 12/8/13

आवश्यक कार्य. कक्ष में उपस्थित करें

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, मौजा ग्राम सतना में स्थित भूमि खसरा नं. 552, 553, एवं 555/1 कुल किता 3 एकत्र रकवा 2.023 हैक्टेयर भूमि आवेदक और विनइयॉ बेवा दुर्जन काछी के भूमिस्वामी, स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जो राजस्व अभिलेखों में हम दोनों के समान हक व हिस्सा पर दर्ज है।
2. यहकि, विवादित भूमि आवेदक विनइयॉ के पति श्री दुर्जन काछी स्वअर्जित सम्पत्ति है, जो राजस्व अभिलेख में हम दोनों के सह–खातेदार के रूप में दर्ज है तथा हम दोनों लोग वाहमी बंटवारा मुताबिक काबिज होकर कास्त करने चले आ रहे हैं।
3. यहकि, उपरोक्त भमि बन्द्रीलाल पुत्र श्री सरजू काछी का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा आवेदक की भूमि में नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार से सॉठ–गॉठ कर उपरोकत भूमि को हड़पना चाहता है।
4. यहकि, आवेदक को नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी तब हुयी जब वह किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से रिकार्ड मांगा और उन्होंने बताया कि विवादित भूमि बन्दीलाल के नाम जो गयी है। इससे हम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3075–तीन/2013 जिला छतरपुर

हल्के उर्फ गुठीला विरूद्ध बन्दीलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–2–2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 15/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/02/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	